

11.04.2022:-आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी मदनलाल जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण से राजिनामा हो गया। वादी व प्रतिवादीगण के राजिनामा होने से वाद आगे नहीं चलाना चाहते। वादी व उसके अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वादी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

उपाखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

